न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–657 / 2026

राजेश सहनी उर्फ उमेश सहनी बनाम् बिहार सरकार

पातेपुर थाना कांड संख्या–196 / 2026

अधीन धारा–126(2), 115(2), 109, 329(3), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

04-06-2026

पातेपुर थाना कांड संख्या–196 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा– 126(2), 115(2), 109, 329(3), 352, 351(3), 3(5) में अभिरक्षाधीन आवेदक **राजेश सहनी उर्फ उमेश सहनी उम्र–36 वर्ष पेसर–जोगी सहनी** साकिन–वाजितपुर कैजु, थाना–पातेपुर, जिला–वैशाली, जो दिनांक–29.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री रविभूषण चौधरी** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–27.04.2026 को समय करीब 02:00 बजे भोर में सूचक की मां धनमा देवी घर पर थी। अचानक धमेन्द्र सहनी, राजेश सहनी एवं दो अज्ञात लोग सभी मिलकर सूचक के घर में घुस गये। जब सूचक की मां हल्ला की तो वे लोग तेज हथियार एवं लोहे के रड से जान मारने की नियत से सूचक की मां धनमा देवी के सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया और खून बहने लगा।

आवेदक के विद्वान अधिवकता का कथन है कि आवेदक दिनांक–29.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें इस मामले में पुरानी दुश्मनी के कारण झुठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य और बनावटी व मनगढ़न्त है। आवेदक के विरूद्ध पातेपुर थाना कांड संख्या–149 / 2022 अंतर्गत धारा–341, 323, 324, 354, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्राथमिकी अनुसार आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजन आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के घर में घुसकर उसकी मां धनमा

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–657 / 2026

राजेश सहनी उर्फ उमेश सहनी बनाम् बिहार सरकार

लगातार

04.06.2026 देवी को धारदार हथियार एवं लोहे के रड से मारकर सर फाड़ देने का आरोप है। प्राथमिकी अनुसार आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। जमानत आवेदन के साथ संलग्न कागजातों से विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच सुलह हो गई है जिसका समर्थन आज सुनवाई के क्रम में गणेश सहनी(सूचक) एवं जख्मी धनमा देवी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर किये है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक–29.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

Web Copy not Official

_____अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक को मो0 10,000 / – की समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।